सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भगवती/शिवचरन 2013/00003

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ

(राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम मुख्यलाय सैपऊ)

पीठासीन अधिकारी –विनोदकुमार मीणा आर0 ए0 एस0

प्रकरण संख्या–87/2013

1–भगवगतीप्रसाद पुत्र चेतराम जाति स्वर्णकार निवासी बसईनबाब तहसील सैपऊ

----------वादी

बनाम

1–शिवचरन 2–पूरनलाल 3–बनवारी पुत्रगण हरिविलास कौम स्वर्णकार निवासी बसईनबाब तहसील सैपऊ

4–सुशीला पुत्री हरिविलास पत्नी प्रभात उर्फ मुन्नालाल जाति स्वर्णकार निवासी जैन गली छीपीटोला आगरा

5–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ वहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील सैपऊ

दावा वास्ते बटवारा

उपस्थिति–

1–श्री भगवतीप्रसाद– (वादी)

निर्णय दिनांक : 15.06.2018

वादीगण की ओर से उपरोक्त उनवानी प्रकरण विवादित आराजी खसरा नम्बर 3132 वाके ग्राम जागीरपुरा एंव 3019, 3020, 6065/3021 वाके ग्राम बसईनबाब बी तहसील सैपऊ का वास्ते बटबारा काश्त न्यायालय में प्रस्तुत किया जो उभयपक्ष को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर दिनांक 31.05.2016 को प्रारंभिक डिक्री किया जाकर विवादित आराजी का वाई मीटस एण्ड वाउण्डस बटवारा किया जाकर तहसीलदार सैपऊ को पक्षकारों के हिस्से अनुसार अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

तहसीलदार सैपऊ द्वारा मुख्यलय सैपऊ पर केम्प के दौरान विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का उपस्थित वादी भगवतीप्रसाद को अवलोकन कराया। दावा वादी द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किये जाने को निवेदन किया है । तहसीलदार सैपऊ ने प्रेषित विभाजन आदेशानुसार ही तैयार कर भिजवाये है । इस प्रकार तहसीलदार सैपऊ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के हिस्से अनुसार ही हैं। ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री करना उचित समझते हैं।

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राम जागीरपुरा एंव बसईनबाब बी तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है :–

**बसईनबाब बी**

**1–शिवचरन, बनवारीलाल, पूरनसिह पुत्रांन व शीला पुत्री पिसरान हरिविलास हि. बराबर 1/2, भगवतीप्रसाद पुत्र चेतराम हि. 1/2 जाति सुनार निवासी बसईनबाब बी तहसील सैपऊ**

| क0सं0 | ख0नं0 | रकवा |
|---|---|---|
| 1. | 6065/3021 | 1–10 |
| योग | 1 | 1–10 |

**2– शिवचरन, बनवारीलाल, पूरनसिह पुत्रांन व शीला पुत्री पिसरान हरिविलास हि. बराबर जाति सुनार निवासी बसईनबाब बी तहसील सैपऊ**

| क0सं0 | ख0नं0 | रकवा |
|---|---|---|
| 1. | 3019 | 0–01 |
| | 3020/1 | 0–01 |
| योग | 2 | 0–02 |

**3– भगवतीप्रसाद पुत्र चेतराम जाति सुनार निवासी बसईनबाब बी तहसील सैपऊ**

| क0सं0 | ख0नं0 | रकवा |
|---|---|---|
| 1. | 3020/2 | 0–02 |
| योग | 1 | 0–02 |

**जागीरपुरा**

**4– भगवतीप्रसाद पुत्र चेतराम जाति सुनार निवासी बसईनबाब बी तहसील सैपऊ**

| क0सं0 | ख0नं0 | रकवा |
|---|---|---|
| 1. | 3132/1 | 1–05 |
| योग | 1 | 1–05 |

**जागीरपुरा**

**5– गुडडी पत्नी रमेशचन्द्र, मुन्नी पत्नी हरिप्रसाद हि. बराबर जाति त्यागी निवासी बसईनबाब तहसील सैपऊ**

| क0सं0 | ख0नं0 | रकवा |
|---|---|---|
| 1. | 3132/2 | 1–04 |

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ

| | | |
|---|---|---|
| योग | 1 | 1—04 |

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक—पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरों के वावत् नियमानुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम की कार्यवाही करने के उपरान्त ही नामा0 की कार्यवाही करें । लगान के 20 गुणा राशि पर देय मुन्द्रांक शुल्क के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिकी जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 05.06.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी / पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट
राजस्व लोक अदालत / कैम्प कोर्ट
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
मुख्यालय सैपऊ